

हरियाणा सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(सामान्य सेवाएं)

अधिसूचना

दिनांक 19 नवम्बर, 1997

संख्या सा० का० नि० 88/संवि०/अनु० 309/97.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएं अधिसूचना सं० 523-3 जी० एस०-70/2068 दिनांक 28 जनवरी, 1970 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएं अधिसूचना सं० 523-3जी० एस०-70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में पैरा-3 में, उप-पैरा (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा और 5 अगस्त, 1996, से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) सेवारत कर्मचारी से भिन्न बोर्ड का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।”।

राम० एस० वर्मा,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(GENERAL SERVICES)

Notification

The 19th November, 1997

No. G.S.R. 88/Const./Art. 309/97—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department, General Services, notification No. 523-GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, namely :—

AMENDMENT

In the Haryana Government, General Administration Department, General Services notification No. 523-GS-70/2068, dated the 28th January 1970, in paragraph 3, for sub-paragraph (a), the following sub-paragraph shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted with effect from 5th August, 1996 namely :—

“(a) The Chairman or a Member of the Board, other than a serving Government employee will be appointed for a term of five years.”

RAM S. VERMA,
Chief Secretary to Government, Haryana.